

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(30)नविवि/03/2016 पार्ट

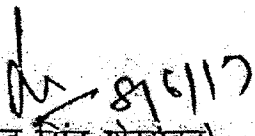
जयपुर दिनांक 19 JUN 2017

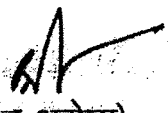
आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/03/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.04.2017 नगरीय निकायों के क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार, सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपयोग हेतु ग्राम पंचायतों को भूमि का आवंटन करने का आदेश जारी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा माननीय मंत्री महोदय, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसे नगरीय क्षेत्र के परिधि क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता के संबंध में नीति निर्धारण करने एवं तदनुसार उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त समिति ने आज दिनांक 30.05.2017 को विभागीय आदेश क्रमांक प. 2(30)नविवि/03/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.04.2017 को प्रत्याहारित (Withdraw) करने का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा निम्न निर्णय भी लिये गये:-

1. नगरीय क्षेत्रों के परिधि क्षेत्रों में आने वाली ग्राम पंचायतों में स्थित आवंटन योग्य सरकारी भूमि/सिवायचक भूमि का 25 प्रतिशत या 15000 वर्गमीटर जो भी कम हो का आवंटन ग्राम पंचायतों को किया जावेगा। ग्राम पंचायत उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक/राजकीय प्रयोजनार्थ कर सकेगी। आवंटन मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत होगा।
2. नगरीय क्षेत्रों के परिधि क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा आवंटित राशि में विकास कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाये जायेगे। उक्त कार्य करवाने के लिये भविष्य में नगरीय निकाय विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु ग्राम पंचायतों का यह दायित्व है कि वह विकास कार्यों की सूचना संबंधित नगरीय निकाय को देगे।
3. नगरीय क्षेत्र के परिधि क्षेत्र में ग्राम पंचायत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आबादी भूमि में स्वयं के स्तर पर पट्टा देने का कार्य कर सकेगी। नगरीय निकाय इस क्षेत्र के अलावा मास्टर प्लान के आधार पर कार्य कर सकेंगे।

अतः समिति के उपरोक्त अनुपालना में विभागीय आदेश क्रमांक प.
2(30)नविवि/03/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.04.2017 को प्रत्याहारित किया जाता है।
अतिरिक्त निर्णयों की पालना हेतु समस्त नगरीय निकायों/प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों
को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम
नगरीय विकास विभाग


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
स्थानीय निकाय विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उद्योग एवं अप्रवासी भारतीय विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य एवं संसदीय मामलात विभाग।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त कलक्टर, राजस्थान।
14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
15. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
17. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
18. वरिष्ठ उप शासन सचिव, को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
19. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम